MALUKA IAS

भारतीय राजव्यवस्था

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	संविधान और संविधान सभा का अवलोकन	1
2.	संविधान की प्रस्तावना	10
3.	राज्य पुनर्गठन	16
4.	राष्ट्रपति	24
5.	उपराष्ट्रपति	38
6.	राज्यपाल	41
7.	प्रधान मंत्री	49
8.	केंद्रीय मंत्रिपरिषद	53
9.	भारत के महान्यायवादी	61
10.	संसद	64
11.	संसदीय समितियां	95
12.	संसद में विधायी प्रक्रिया	102
13.	राज्य विधान परिषद	108
14.	धन विधेयक	112
15.	संसदीय प्रणाली	115
16.	दलबदल विरोधी कानून	120
17.	लाभ का पद ('ऑफिस ऑफ प्रॉफिट') की अवधारणा	125
18.	बजट	130
19.	भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक	139
20.	उच्चतम न्यायालय	144
21.	उच्च न्यायालय	157
22.	अधीनस्थ न्यायालय	162
23.	वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर)	174
24.	न्यायिक समीक्षा	179
25.	जनहित याचिका	189
26.	अधिकारों का विभाजन	195

MALUKA IAS

27.	केंद्र-राज्य संबंध	200
28.	संघीय सिस्टम	222
29.	वित्त आयोग	235
30.	अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र	240
31.	आपातकालीन प्रावधान	246
32.	केंद्र शासित प्रदेश	256
33.	पंचायती राज	264
34.	नगर पालिकाओं	277
35.	संघ लोक सेवा आयोग	288
36.	सार्वजनिक सेवाओं	292
37.	मौलिक अधिकार	299
38.	मौलिक कर्तव्य	322
39.	राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSP)	324
40.	बुनियादी संरचना	330
41.	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग	332
42.	चुनाव	335
43.	राजनीतिक दलों	350
44.	सिटिज़नशिप	356
45.	राजभाषा	369
46.	भाग अनुसूची और संशोधन	376

MALUKA IAS

अध्याय 1
संविधान और संविधान सभा का अवलोकन

संविधान क्या है
संविधान मौलिक सिद्धांतों का एक निकाय है जिसके आधार पर एक राज्य को संघटित एवं उस पर शासन किया जाता है।

संविधान के कार्य
संविधान का पहला कार्य
- सबसे पहले, यह एक समाज में सत्ता के बुनियादी आवंटन को निर्दिष्ट करता है।

उदाहरण:
- एक राजतंत्रीय संविधान में, एक शासक निर्णय लेता है;
- पुराने सोवियत संघ में, एक पार्टी को निर्णय लेने की शक्ति दी गई थी।
- लेकिन लोकतांत्रिक संविधानों में, लोगों को निर्णय लेना होता है।
- भारतीय संविधान में संसद कानूनों और नीतियों को तय करता है।

संविधान का दूसरा कार्य
- एक संविधान का दूसरा कार्य एक सरकार पर सीमाएं निर्धारित करना कि वह अपने नागरिकों पर क्या थोप सकती है।
- ये सीमाएं मौलिक होती है जिनका सरकार कभी भी अतिक्रमण नहीं कर सकती।

अब सवाल उठता है....कैसे
- सरकार की शक्ति को सीमित करने का सबसे आम तरीका कुछ मौलिक अधिकारों को निर्दिष्ट करना है जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में हैं और जिन्हें किसी भी सरकार को कभी भी उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
- संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा बुद्धिमानी ढंग से करता है ताकि कोई एक समूह संविधान पर अधिपत्य कर उसे पलट ना दें।
- यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कोई एक संस्था सत्ता पर एकाधिकार प्राप्त न करे।
- उदाहरण के लिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे विभिन्न संस्थानों में सत्ता का क्षैतिज विखंडन

संविधान का तीसरा कार्य
- लेकिन बीसवीं सदी के कई संविधान, जिनमें से भारतीय संविधान सबसे अच्छा उदाहरण है, सरकार को कुछ सकारात्मक कदम उठाने, समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को व्यक्त करने के लिए एक सक्षम ढांचा प्रदान करते हैं।
- उदाहरण के लिए, भारत एक ऐसा समाज बनना चाहता है जो जातिगत भेदभाव से मुक्त हो।
- ये प्रावधान मौलिक अधिकारों एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पाए जाते हैं।
- वे समाज की सामूहिक भलाई के लिए सरकार को शक्तियाँ भी देते हैं।

संविधान का चौथा कार्य
- एक संविधान लोगों की मौलिक पहचान को व्यक्त करता है।
- इसका मतलब है कि लोग एक सामूहिक इकाई के रूप में केवल मूल संविधान के माध्यम से ही अस्तित्व में आते हैं।
- यह उन मूलभूत मूल्यों को परिभाषित करता है जिनका हम अतिक्रमण नहीं कर सकते। तो संविधान भी देता है एक नैतिक पहचान
- उदाहरण के लिए, जातीय रूप से जर्मन होने के कारण जर्मन पहचान का गठन किया गया था।
- दूसरी ओर, भारतीय संविधान जातीय या भाषा या धर्म की पहचान को नागरिकता का मानदंड नहीं बनाता है।

क्या संविधान को अनिवार्य रूप से लिखा जाना चाहिए

MALUKA IAS

- कुछ देशों, उदाहरण के लिए, यूनाइटेड किंगडम के पास एक भी दस्तावेज नहीं है जिसे संविधान कहा जा सकता है। बल्कि उनके पास दस्तावेजों और निर्णयों की एक श्रृंखला होती है, जिन्हें सामूहिक रूप से लिया जाता है, जिन्हें संविधान कहा जाता है।
- दुनिया भर में कई संविधान केवल कागजों पर मौजूद हैं; जो केवल एक चर्मपत्र पर मौजूद शब्द हैं।

<u>घोषणा</u>

- यह बताता है कि संविधान कैसे बनता है।
- संविधान किसने बनाया और उनके पास कितना अधिकार था?

- कई देशों में संविधान निष्क्रिय रहते हैं क्योंकि वे सैन्य नेताओं या नेताओं द्वारा तैयार किए जाते हैं जो लोकप्रिय नहीं हैं और लोगों को अपने साथ ले जाने की क्षमता नहीं रखते हैं।
- भारत, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य जैसे सबसे सफल संविधान ऐसे संविधान हैं जो लोकप्रिय राष्ट्रीय आंदोलनों के बाद बनाए गए थे

<u>शक्ति स्वीकृति पर निर्भर करती है</u>

- यह उन लोगों द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने अत्यधिक सार्वजनिक विश्वसनीयता प्राप्त की थी तथा समाज के एक व्यापक प्रतिनिधित्व का सम्मान किया, और जो लोगों को यह समझाने में सक्षम थे कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्ति के अभ्युदय के लिए एक साधन नहीं हैं।
- अंतिम दस्तावेज उस समय व्यापक राष्ट्रीय सहमति को दर्शाता है।
- यह एक सफल संविधान की पहचान है कि यह समाज में हर किसी को इसके प्रावधानों के साथ जाने का कोई कारण देता है।
- इसे लोगों को यह विश्वास दिलाना होगा कि यह बुनियादी न्याय को आगे बढ़ाने के लिए ढांचा प्रदान करता है

<u>एक जीवित दस्तावेज़</u>

- एक संविधान को लोगों के बीच सही संतुलन बनाना चाहिए।
- आधिकारिक रूप में मूल्य, मानदंड और प्रक्रियाएं।
- और साथ ही बदलती जरूरतों और परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए इसके संचालन में पर्याप्त लचीलेपन की अनुमति मिले जैसे संविधान संशोधन।
- बहुत कठोर संविधान में परिवर्तन के भार के नीचे टूटने की संभावना होती है।
- अधिक लचीला संविधान लोगों को कोई सुरक्षा, पूर्वानुमेयता नहीं देता।

<u>बिल्डर्स</u>

- संविधान सभा द्वारा बनाया गया था जिसे अविभाजित भारत के लिए चुना गया था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के लिए संविधान सभा के रूप में संगठित हुई।
- इसके सदस्यों को प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना गया था जो भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत स्थापित किए गए थे।
- संविधान सभा की रचना प्रस्तावित कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाई गई थी

सीटों का आवंटन और भरने का तरीका

MALUKA IAS

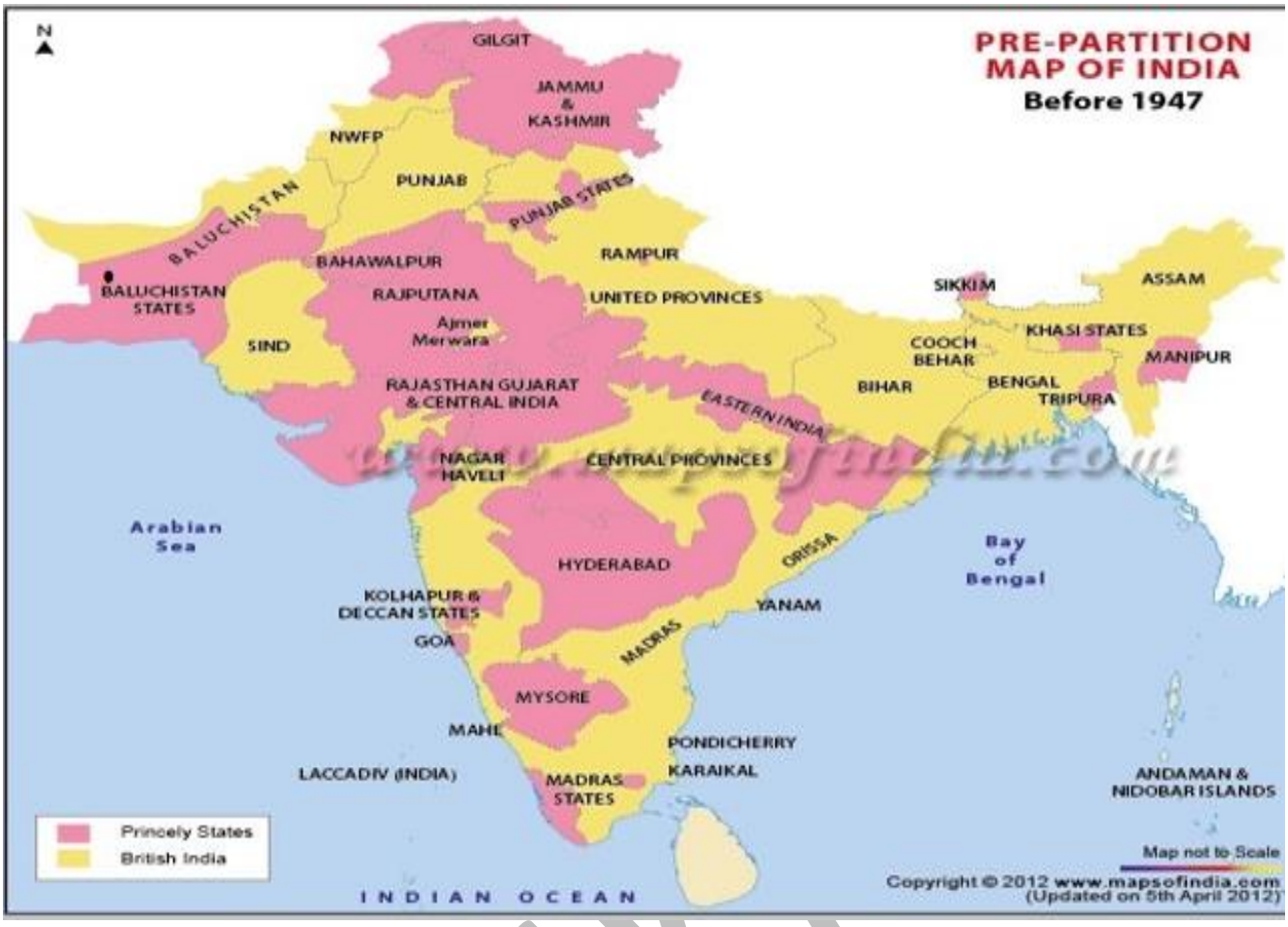

- प्रत्येक प्रांत और प्रत्येक रियासत या राज्यों के समूह को उनकी संबंधित जनसंख्या के अनुपात में लगभग 1:10,00,000 के अनुपात में सीटें आवंटित की गईं। परिणामस्वरूप प्रांतों (जो सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन थे) को 292 सदस्यों का चुनाव करना था जबकि
- रियासतों को न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गईं।
- प्रत्येक प्रांत में सीटों को तीन मुख्य समुदायों, मुस्लिम, सिख और सामान्य के बीच उनकी संबंधित आबादी के अनुपात में वितरित किया गया था।
- प्रांतीय विधान सभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने एकल संक्रमणीय मत के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि द्वारा अपने स्वयं के प्रतिनिधियों का चुनाव किया।
- रियासतों के प्रतिनिधियों के मामले में चयन की विधि परामर्श द्वारा निर्धारित की जानी थी।

ALLOCATION OF SEATS IN THE CONSTITUENT ASSEMBLY OF INDIA (1946)

SI.NO.	AREAS	SEATS
01	British Indian Provinces (11)	292
02	Princely States (Indian States)	93
03	Chief Commissioners Provinces (4)	4
	TOTAL	389